कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0 ए0 /एस0 एस0 –1/श0 स्था0 नि0/14315/925 दिनांकः– 14.12.12

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महोदय,

नगर पंचायत घोघरडीहा के वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 692/11–12 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर प्रेषित करवाने का कष्ट करें, साथ ही पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के लम्बित कंडिकाओं का अनुपालन भी प्रेषित करवाया जाय क्योंकि अनुपालन नहीं किए जाने से लेखापरीक्षा का उद्देश्य निष्फल हो जाता है।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करये गए सूचनाओं/विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,
14.12.12
लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सोशल सेक्टर–1
बिहार, पटना

नगर पंचायत घोघरडीहा
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–692/11–12
(अवधि– 2008–09 से 2010–11 तक

1. प्रस्तावनाः–

घोघरडीहा नगर पंचायत के वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक के लेखाओं की नमूना जॉच कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, बिहार पटना के लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 07.03.12 से 17.03.12 तक की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

(क)	**अध्यक्षा का नाम**	**कार्यकाल**
(i)	श्री भोला झा	01.04.08 से 30.10.09
(ii)	रिक्त	1.11.09 से 20.01.10
(iii)	श्री शंकर झा	21.01.10 से 31.03.11
(ख)	**उपाध्यक्ष का नाम**	**कार्यकाल**
(i)	श्री प्रमोद कुमार यादव	01.04.08 से 19.11.09
(ii)	श्री मती प्रमीला देवी	20.11.09 से 31.03.11
(ग)	**कार्यपालक पदाधिकारी का नाम**	**कार्यकाल**
(i)	श्री गुलाब चन्द	01.04.08 से 17.06.09
(ii)	श्री आनन्द प्रकाश	18.06.09 से 09.06.10
(iii)	श्री संजय कुमार	10.06.10 से 31.03.11

3. लेखापरीक्षा परिसीमा

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की विवरणी परिशिष्ट –I में एवं अप्रस्तुत/संधारित अभिलेखों की विवरणी परिशिष्ट–II में दर्शायी गई है।

41

4. पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन नगर पंचायत, घोघरडीहा द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे लंबित कंडिकाओं की स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी।

लंबित कंडिकाओं का अनुपालन नहीं होने से जिस उदेश्य हेतु लेखा परीक्षा की जाती है, पुरा नही हो पाया।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत धोधरडीहा से अनुरोध है कि सभी लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन यथा शीध्र लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित किया जाये।

5. महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा उपलब्धियॉ

क्रम सं0	कंडिका सं0	विवरणी	राशि(₹)
1	10	भवन निर्माण हेतु प्राप्त राशि का बाधित रहना	3234269.00
2	11	बी0 आर0 जी0 एफ0 अन्तर्गत प्राप्त अनुदान का बाधित रहना	2666099.00
3	14	वसुली की राशि का जमा नहीं	732712.00
4	15	होल्डिग कर का निर्धारण नहीं	
5	17	बकाया दुकान किराया	262450.00
6	18	बी0 आर0 जी0 एफ0 अन्तर्गत एम्बुलेंस का क्रय (विचलन)	395323.00
7	22	दैनिक वेतन भोगी को पारिश्रमिक	514379.00

6. (क) संव्यवहार

वर्ष 2008–09 से 10–11 में विभिन्न संधारित रोकड़बहियों के अनुसार आय–व्यय विवरणी निम्न है।

I रोकड़ बही समिति कोष के लिए संधारित रोकड़ बही में निजी स्रोत से प्राप्त आय एवं अनुदान की स्थानान्तरित राशि का संधारण किया गया था संधारित रोकड़ बही के अनुसार संव्यवहार निम्नलिखित है।

		2008–09	2009–10	2010–11
1.	प्रारंभिक शेष	1632429.44	494626.44	637002.42
2	आय			
(a)	अनुदान स्थांतरित			
(i)	वेतन एवं भत्ता	298013.00	445368.00	
(ii)	कबीर अंत्येष्टि	165000.00	–	
(iii)	पार्षदों का भत्ता	61800.00	–	
(iv)	अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क	246416.00	86740.00	
(b)	निजी स्त्रोत	297718.00	539326.00	
(c)	ब्याज	5468.00	229.00	
3.	कुल (a+b+c)	1074415.00	1071663.00	
4	कुल प्राप्ति	2706844.44	1566289.44	
5	व्यय			
(i)	योजना	12000.00	8700.00	246295.00
(ii)	स्थापना एवं अन्य	530385.00	693787.00	753947.00
(iii)	स्थातंतरण	1669833.00	226800.00	
6	कुल व्यय	2212218.00	929287.00	1000242.00
7	अंतशेष	494626.44	637002.44	अनुपलब्ध

लेखा परीक्षा टिप्पणी

(i) सरकार से प्राप्त अनुदान को पहले P/L खाता में जमा किया जाता था तत्पश्चात भा0 स्टे0 बैंक झंझारपुर (समिति कोष) में स्थांतरित कर राशि को रोकड़बही के आय शीर्ष में प्रविष्ट किया जाता था। पुनः भा0 स्टे0 बैंक (समिति कोष) से राशि को संबंधित बैंक खाता में स्थानान्तरित कर रोकड़ बही के व्यय शीर्ष में प्रविष्ट किया जाता था।

(ii) समिति कोष रोकड़बही का संचालन इलाहाबाद बैंक डयोढ़ (खाता सं0 101972) एवं भारतीय स्टेट बैंक झंझारपुर (खाता सं0 1100050052) से किया गया था। लेकिन दिनांक 01.01.2010 से भारतीय स्टेट बैंक झंझापुर के लिए पृथक रोकड़बही का संधारण किया गया था। दिनांक 17.07.08 से पी एल खाते के लिए भी पृथक रोकड़ बही का संधारण किया गया था।

39

(iii) निधि कोष के एक बैंक खाता (भारतीय स्टेट बैंक, झंझारपुर) से दुसरे बैंक खाता (इलाहाबाद बैंक डयोढ़) में दिनांक 19.09.08 को ₹ 50000.00 स्थानान्तरित की गई और इसकी प्रविष्टि रोकड़ बही के व्यय शीर्ष (पृष्ठ–98) में की गई जबकि यह स्थानान्तरण व्यय नही था। अतः इसकी प्रविष्टि व्यय पक्ष में नही की जानी थी। अतः ₹ 50000.00 का अतिरिक्त व्यय रोकड़ बही में संधारीत हो गई। इसका सुधार किया जाय।

(iv) दिनांक 01.01.11 से आय शीर्ष एंव दिनांक 1.07.10 से व्यय शीर्ष का संधारण रोकड़ बही में नहीं किया गया था। जिसके फलस्वरूप आय–व्यय का लेखा परीक्षा नहीं किया जा सका। रोकड़ बही भी 2010–11 से कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त राशि और उससे कृत व्यय का कोई लेखा– जोखा उपलब्ध नही था। लगभग 1½ वर्ष बीतने के बाबजूद रोकड़–बही का न लिखा जाना एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इस संदर्भ में कार्यपालक पदाधिकारी को वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया परंतु लेखा–परीक्षा की समाप्ति तक इसे अद्यतन नहीं किया गया था। उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि रोकड़बही का अद्यतन संधारण कर अविलंब इस कार्यालय को सूचित किया जाय।

(v) वर्ष 2010–11 के रोकड़ बही का अद्यतन संधारण नहीं किया गया था इसलिए संव्यवहार में ली गई 2010–2011 के व्यय की राशि चेक निर्गत पंजी के आधार पर तैयार की गई।

II. P.L खाता रोकड़ बही 17.07.08 से P.L खाता के लिए एक पृथक रोकड़बही संधारित किया गया था जिसमें सरकार से प्राप्त अनुदान को भा0 स्टे0 बैंक, झंझारपुर में स्थांतरीत किया जाता था जिससे संबंधित संव्यवहार निम्नलिखित है:–

		2008–09	2009–10	2010–11
1.	प्रारंभिक शेष	शून्य	शून्य	1739400.00
2.	अनुदान प्राप्ति	771229.00	2138495.00	5314200.00
3.	कुल प्राप्ति	771229.00	2138495.00	7053600.00
4.	व्यय (स्थांतरण)	771229.00	399095.00	7053600.00
5.	अंतशेष	शून्य	1739400.00	शून्य

III. भारतीय स्टेट बैंक, झंझारपुर खाता सं0 1100050052.00 रोकड़ बही दिनांक 01.01.10 से समिति कोष के लिए संधारित रोकड़बही से भा0 स्टे0 बैंक, झंझारपुर के लिए पृथक रोकड़ बही का संधारण किया गया था जिसका संव्यवहार निम्नलिखित हैं–

		2009–10	2010–11
1	प्रारंभिक शेष	13321.54 (01.01.10)	13554.54
2	प्राप्ति		
(i)	स्थांतरण	399095.00	6025612.00
(ii)	व्याज	233.00	12872.00
3	कुल	399328.00	6038484.00
4	कुल प्राप्ति	412649.54	6052038.54
5	व्यय (स्थांतरण)	399095.00	1739400.00
6	अंतशेष	13554.54	4312638.54

IV. 12 वीं वित्त आयोग रोकड़ बहीः–

12 वीं वित्त आयोग के आय–व्यय का संव्यवहार इलाहाबाद बैंक देवढ़ शाखा से किया गया था। इसके लिए संधारित रोकड़ बही के अनुसार आय–व्यय की विवरणी निम्नलिखित है।

		2008–09	2009–10	2010–11
1	प्रारंभिक शेष	520676.00	1515656.00	1308268.00
2	प्राप्ति			
(i)	अनुदान (स्थांतरण)	1030509.00	–	1267994.00
(ii)	व्याज	44054.00	50100.00	25110.00
3	कुल (i+ii)	1074563.00	50100.00	1293104.00
4	कुल प्राप्ति	1595239.00	1565756.00	2601372.00
5	व्यय			
(i)	योजना	79583.00	–	887371.00
(ii)	सामग्री (कय हेतु)	–	103000.00	469599.00
(iii)	दैनिक मजदूरों को पारिश्रमिक	–	154488.00	225393.00
(iv)	अन्य			35580.00
6	कुल व्यय	79583.00	257488.00	1617943.00
7	अंतशेष	1515656.00	1308268.00	983429.00

नोट

1. राशि समिति कोष से स्थानान्तरित है

2. ₹ राशि P.L रोकड़ बही से स्थांनान्तरित है।

3. 150000.00 B.R.G.F मद में व्यय किया गया जिसे 11–12 में वापस कर दी गई

बैंक पासबुक के अनुसार ₹77996.00 दिनांक 18.02.11 को बैंक खाते से दो बार आहरीत किया गया, जिसे अविलंब बैक खाता में वापस की जाय और अगले अंकेक्षण दल हो अवगत कराया जाए।

V योजना मद एवं गैरयोजना मद रोकड़बही

		08–09	09–10	10–11
1	प्रारंभिक शेष	23290.80	456505.80	78792.80
2	प्राप्ति			
(i)	अनुदान (स्थांतरण)	1125000.00	–	–
(ii)	ब्याज	35083.00	11576.00	974.00
3	प्राप्ति (i+ii)	1160083.00	11576.00	974.00
4	कुल प्राप्ति(2+3)	1183373.80	468081.80	79766.80
5	व्यय(योजना मद)	726868.00	389289.00	47618.00
6	अंतशेष (4–5)	456505.80	78792.80	32148.80

नोट :– राशि 1125000.00 समिति निधि से चेक सं0 A/605 449635/27.03.08 द्वारा स्थानांतरित।

VI व्यावसायिक दुकान रोकड़ बही

		08–09	09–10	10–11
1.	प्रारंभिक शेष	25758.90	22645.90	23372.90
2.	प्राप्ति			
(i)	सुरक्षित जमा	10000.00	–	–
(ii)	ब्याज	539.00	727.00	412.00
3	जोड़ (i+ii)	10539.90	727.00	

4.	कुल प्राप्ति(2+3)	36297.90	23372.90	237840.00
5.	व्यय	13652.00	–	–
6.	अंतशेष	22645.90	23372.90	23784.90

VII कबीर अंत्येष्टि रोकड़ बही

		08–09	09–10	10–11
1.	प्रारंभिक शेष	शून्य	326.00	165282.00
2.	प्राप्ति			
(i)	अनुदान (स्थांतरण)	33000.00[1]	330000.00[2]	–
(ii)	ब्याज	326	–	2754.00
3	कुल प्राप्ति (i+ii)	33326.00	330000.00	2754.00
4.	कुल प्राप्ति(1+3)	33326.00	330326.00	168036.00
5.	व्यय			
(i)	लाभार्थियों को	21000.00	–	7500.00
(ii)	वार्ड पाषर्द के खाता में स्थांतरण	–	165000.00	150000.00
(iii)	अन्य	12000.00	44.00	—
6.	कुल व्यय	33000.00	165044.00	157500.00
7.	अंत शेष	326.00	165282.00	10536.00

नोटः 1एवं 2 की राशि समिति कोष स्थांतरित राशि है।

VIII निर्वाचन रोकड़ बही

कम	विवरणी	08–09	09–10	10–11
1.	प्रारंभिक शेष	838.60	1572.60	1628.60
2.	प्राप्ति			
(i)	ब्याज	50	56	29
(ii)	अन्य	684.00	–	–

3	कुल	1572.60	1628.60	1657.60
4.	व्यय	–	–	–
5.	व्यय	13652.00	–	–
6.	अंतशेष	1572.60	1628.60	1657.60

IX विधायक/सांसद ऐच्छिक कोष रोकड़ बही

कम	विवरणी	08–09	09–10	10–11
1.	प्रारंभिक शेष	15476.40	13441.40	13915.40
2.	प्राप्ति (ब्याज)	465.00	474.00	245.00
3	कुल प्राप्ति	15941.00	13915.40	14160.40
4.	व्यय	2500.00	–	–
5.	अंतशेष	13441.40	13915.40	14160.40

X चापाकल मद रोकड़ बही

कम	विवरणी	08–09	09–10	10–11
1.	प्रारंभिक शेष	शून्य	861897.00	892327.00
2.	प्राप्ति			
(i)	अनुदान/स्थांतरण	844304[1].00	–	–
(ii)	ब्याज एवं अन्य	17593.00	30430.00	15742.00
3	कुल प्राप्ति (i+ii)	861897.00	30430.00	15742.00
4.	कुल	861897.00	892327.00	908069.00
5.	व्यय		–	–
(i)	योजना	–	–	200000.00
(ii)	अंतशेष	861897.00	892327.00	708069.00

नोट:– 809160.00रू0 मा0 स्टे0 बैंक झंझारपुर से स्थांतरीत है।

XI स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना रोकड़ बही

कम	विवरणी	08–09	09–10	10–11
1.	प्रारंभिक शेष	193306.00	200160.00	207125.00
2.	प्राप्ति (ब्याज)	6854.00	6965.00	3603.00
3	कुल	200160.00	207125.00	210728.00
4.	व्यय	–	–	–
5.	अंतशेष	200160.00	207125.00	210728.00

XII राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास योजना (NSDP)

कम	विवरणी	08–09	09–10	10–11
1.	प्रारंभिक शेष	890059.00	758532.00	7280.50
2.	प्राप्ति			
(i)	अनुदान	–	–	–
(ii)	ब्याज	27873.00	26118.00	12645.00
	जोड़ (i+ii)	27873.00	26118.00	12645.00
3.	कुल प्राप्ति	917932.00	784650.00	740695.00
4.	व्यय (योजना)	159400.00	56600.00	111400.00
5.	अंतशेष	758532.00	728050.00	629295.00

XIII 11 वीं वित्त अयोग रोकड़ बही

कम	विवरणी	08–09	09–10	10–11
1.	प्रारंभिक शेष	415722.00	272518.00	253687.00
2.	प्राप्ति			
(i)	अनुदान	–	–	–
(ii)	ब्याज	13375.00	9169.00	4120.00
	जोड़ (i+ii)	13375.00	9169.00	4120.00
3.	कुल प्राप्ति	429097.00	281687.00	257807.00
4.	व्यय (योजना)	156579.00	28000.00	32680.00
5.	अंतशेष	272518.00	253687.00	225127.00

33

XIV प्रशासनिक भवन निर्माण रोकड़ बही

कम	विवरणी	08–09	09–10	10–11
1.	प्रारंभिक शेष	2887875.00	2997145.00	3133534.00
2.	प्राप्ति	–	–	–
	ब्याज	109270.00	136389.00	100735.00
3.	कुल (1+2)	2997145.00	3133534.00	3234269.00
4.	ब्यय	–	–	–
5.	अंतशेष	2997145.00	3133534.00	3234269.00

XV पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि रोकड़ बही

कम	विवरणी	08–09	09–10	10–11
1.	प्रारंभिक शेष	शून्य	760892.00	2117041.00
2.	प्राप्ति			
(i)	अनुदान	747805.00	1317340.00	600954.00
(ii)	ब्याज	13087.00	39686.00	29632.00
	कुल (i+ii)	760892.00	1357026.00	630586.00
3.	कुल योग	760892.00	2117918.00	2747627.00
4.	व्यय			
(i)	योजना	–	–	1605777.00
(ii)	अन्य	–	877.00	395323.00
(iii)	विचलन	–	–	150000.00
5.	कुल व्यय	शून्य	877.00	2151100.00
6.	अंतशेष	760892.00	2117041.00	596527.00

6.(ख) रोकड़ पंजी संधारण में त्रुटियॉ

(i) रोकड़ पाल रोकड़ बही का भी संधारण नहीं किया गया था।

(ii) विविध रसीदों से की गयी वसूली को सीधे लेखा–पाल रोकड़ बही में दर्ज किया गया था।

(iii) रोकड़ पंजी में शीर्ष का वर्गीकरण नहीं किया गया था।

(iv) रोकड़ पंजी का सक्षम पदाधिकारी द्वारा जॉच नहीं किया गया था जिसके परिणाम स्वरूप काफी राशि वसूलकर्त्ता लेखापाल के पास नगद के रूप में थी।

रोकड़ बहियों का विहित संधारण कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये।

7. बैंक समाधान विवरणी

कम	रोकड़ बही का नाम	31.03.11 को रोकड़ बही का अंतशेष	बैंक का नाम एंव खाता सं0	31.03.11 को बैंक शेष	अंतर	समाधान विवरणी
1	समिति कोष	अनुपलब्ध	इलाहाबाद बैंक, इयोढ A/C 101972	79617.00	–	–
2	P/L खाता	शून्य	–	प्रस्तुत नहीं	–	–
3.	भा0 स्टे0 बैंक	4312638.54	भा0 स्टे0 बैंक झंझारपुर A/C 1100050052.00	4312638.18	शून्य	–
4	12th वित्त आयोग	983429.00	इलाहाबाद बैंक, इयोढ A/C 2216745007	1076250.30	92821	समाधान विवरणी तैयार नहीं
5	योजना एवं गैर योजना मद	32148.80	इलाहाबाद बैंक, इयोढ A/C 103946 New B.s-22167365378.00	33534.80	1386	"
6	व्यावसायिक दुकान	23784.90	इला0 बैंक डयोढ़ A/C 213993.00	24195.00	410.10	ब्याज से प्राप्त राशि रोकड़ बही में प्रविष्ट नहीं

7	कबीर अंत्येष्टि	10536	उ0 बि0 ग्रा0 बैंक, घोघरडीहाA/C 4021	10536	शून्य	–
8	निर्वाचन	1657.60	इला0 बैंक ज्योढ़ A/C 221674615	1657.60	शून्य	–
9	विधायक / सांसद मद	14160.40	इला0 बैंक ज्योढ़ A/C 22167365367	14405.40	245	ब्याज की राशि रोकड़ बही में प्रविष्ट नहीं
10	चापाकल मद	708069.00	इला0 बैंक ज्योढ़ A/C 22167472095	861897.00 07.03.09 तक ही प्रविष्ट	–	–
11.	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना	210728.00	(1) इला0 बैंक A/C-22167351321.00 (2) सेन्ट्रल बैंक, घोघरडीहाA/C-8685	211430.00 2890.00 (1.01.09 तक ही प्रविष्ट) 214320.00	3592.00	समाधान विवरणी अप्रस्तुत
12.	राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम	629295	इला0 बैंक ज्योढ़ A/C 22167365334	652063.00	22768.00	समाधान विवरणी तैयार नहीं
13.	11 वी वित्त	225127	इला0 बैंक ज्योढ़ A/C 22167365356	229077.00	3950.00	ब्याज की राशि =3978 बैंक कमीशन की प्रविष्टि= -28 3950.00
14.	प्रशासनिक भवन निर्माण	3234269.00	सेंट्रल बैंक इंडिया घोघरडीहाA/C–2220038064	3234269.00	शून्य	–
15.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	596527.00	भा0 स्टे0 बैक झंझारपुर A/C–30390532730	633524.00	36997	ब्याज की राशि रोकड़ बही में प्रविष्ट नहीं

असमाधानित लेखाओं की बैंक समाधान विवरणी तेयार कर अगले अंकेक्षण प्रस्तुत की जाय।

8. बजट नहीं बनाया जाना

बिहार नगरपालिका अधिनियित 2007 की धारा 82 से 84 के अनुसार मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी आगामी वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष बजट का प्राक्कलन तैयार करेगा और उसे मुख्य पार्षद 15 फरवरी के अथवा तत्पश्चात यथा सम्भव शीध्र बजट प्राक्कलन नगरपालिका के समक्ष पेश करेगा। नगरपालिका इसे इस पर सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा यदि कोई हो पर विचार कर, पत्येक वर्ष 15 मार्च तक ऐसे परिवर्त्तनों के साथ आगामी वर्ष हेतु बजट प्राक्कलन अंगीगार करेगी तथा इसे स्थानीय निकायों के क्षेत्रीय उपनिदेशक को प्रस्तुत करेगी। सरकार इसे उस वर्ष के 31 मार्च तक नगरपालिका को लौटायेगी।

परन्तु नगर पंचायत घोघरडीहा द्वारा वर्ष 2008–09 से 2010–11में बजट प्राक्कलन नहीं बनया गया। बजट में प्रावधान किये बिना कोई भी व्यय किया जान अनियमित था।

किन परिरिथितियों में बजट नहीं बनाया गया अंकेक्षण को स्पष्ट नहीं किया गया। बजट तैयार कर तथा पारित करवाकर किये गये व्यय को नियमित किया जाय। भविष्य में बजट प्राक्कलन नियमानुसार बनाने हेतु यथाशीध्र ठोस कदम उठाया जाय।

9. सरकारी अनुदान

वर्ष 2008–09 से 10–11 हेतु अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया। फलस्वरूप लेखापरीक्षा अवधि के प्रारंभ में यानि 1.04.08 को अव्यवहृत अनुदान वर्ष 08–09 से 10–11 में प्राप्ति एंव उपयोग तथा दिनांक 31.03.11 को अव्यवहृत अनुदान की राशि सुनिश्चित नहीं किया जा सका। विशेष उदेश्य हेतु प्राप्त अनुदान राशि के विचलन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अनुदान पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाय।

यधपि नगरपंचायत द्वारा संधारित विभिन्न रोकड़बहियों के अनुसार वर्ष 2008–09 से 10–11 में प्राप्त अनुदान का विववरणी परिशिष्ट–III पर दर्शाया गया है।

प्राप्त अनुदान से संबद्ध सभी स्वीकृत्यादेश पत्र, उपयोगिता, योजना के चयन से संबद्ध संचिका वार्षिक कार्य योजना परिप्रेक्ष्य प्लान, संवेदक के चयन से संबद्ध संचिका आदि अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाय।

10. प्रशानिक भवन निर्माण हेतु प्राप्त राशि का वाधित रहना – ₹32.34 लाख

नगर पंचायत धोधरड़ीहा को वित्तीय वर्ष 2006–07 में स्वीकृत मोडल प्लान के अनुरूप सरकार के पत्रांक 1398/न0 वि0 वि0/13.03.07 द्वारा प्रशानिक भवन निर्माण हेतु 75% अनुदान राशि ₹2887875.00 की स्वीकृति प्रदान की गई तथा पंत्रांक 1613/ न0 वि0 वि0/17.07.04 द्वारा बैंक ड्राफ्ट सं0 0907333/11.04.07 के माध्यम से ₹ 2887875.00 प्राप्त हुई। उक्त

ड्राफ्ट में कार्यापालक पदाधिकारी के स्थान पर कार्यपालक अभियंता का नाम होने के कारण इसे संशोधन हेतु पत्र सं0 108/07.05.07 द्वारा भेजा गया तदुपरान्त पत्रांक 2658/ न0 वि0 एवं आ0 वि0 दिनांक 08.06.07 द्वारा (ड्राफट सं0 0996090733/11.04.07) राशि प्राप्त हुई। पुनः कार्यपालका पदाधिकारी का पद दिनांक 08.05.07 से 25.11.07 तक रिक्त रहने के कारण ड्राफ्ट की वैधता अवधि समाप्त होने के कारण इसे पुनजिर्वित करने हेतु पत्र सं0 209/19.11.07 द्वारा भेजा गया जो पत्रांक 281/न0 वि0 एवं आ0 वि0/17.01.08 द्वारा पुनर्जीवित कर वापस किया गया जिसे दिनांक 20.02.08 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया (खाता सं0 2220038064) घोघरडीहा में जमा किया गया।

नगर पंचायत को अपना भूमि उपलब्ध नहीं होने की कारण भूमि उपलब्ध करवाने हेतु अंचल अधिकारी, धोधरडीहा को समय–समय पर विभिन्न पत्रों के माध्यम से से जमीन उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया। इस कार्यालय के पत्र 245/21.07.08 द्वारा जिला पदाधिकारी मधुबनी को भी आग्रह किया गया। उक्त पत्र के आलोक में अपर समाहर्त्ता मधुबनी द्वारा अंचल अधिकारी घोघरडीहा को विधिवत रकवा सहित अभिलेख अपने मंतव्य के साथ भेजने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त तिथि के बाद कार्यलय द्वारा भूमि उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रयास किया गया या नहीं संचिका को कोई सूचना उपलबध नही था। इसका कारण लेखापरीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। पुनः संचिका से स्पष्ट है कि भूमि अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है जिसके कारण उक्त उद्देश्य हेतु प्राप्त अनुदान की राशि वर्ष 07–08 से अभी तक (लगभग 4 साल) वाधित रही।

इस बीच नगर पंचायत द्वारा प्रत्रांक 307/14.11.09 एवं 54/02.03.10 द्वारा सरकार को प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु अतिरिक्त आवंटन (₹32.90 लाख) उपलबध करवाने हेतु अनुरोध किया गया जिसमें मजदुरी दर सामग्री दर में वृद्वि के कारण ₹ 1540000.00 तथा जमीन की कीमत ₹ 1750500.00 शामिल है। परन्तु सरकार की ओर से काई भी उत्तर अबतक अप्राप्त है।

जमीन हेतु राशि के आग्रह का क्या आधार था, स्पष्ट नहीं किया गया। जमीन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति तथा अतिरिक्त आवंटन प्राप्त नहीं हाने के कारण योजना का कार्यान्वयन अब संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः कुल राशि ₹ 3234269. (2887875+346394 ब्याज) को संबद्व स्वीकृतिदाता को वापस कर दी जाय।

11. बी0 आर जी0 एफ0 अन्तर्गत प्राप्त अनुदान का अवरूद्व रहना ₹ 26.66 लाख

वर्ष 2008–09 से 10–11 के दौरान बी0 आर0 जी0 एफ0 मद में निम्न अनुदान प्राप्त हुए

2008–09	19.06.08	747805.00
2009–10	18.06.09	732645.00
	31.12.09	584695.00
2010–11	09.11.10	355496.00
	29.11.10	245458.00
	कुल	2666099.00

बी0 आर0 जी0 एफ हेतु संधारित रोकड़बही के अनुसार वर्ष 2008–09 से 2009–10 में आवंटित राशि का व्यय/ उपयोग नहीं किया गया। वर्ष 10–11 में भी दिनांक 31.08.10 से व्यय हुआ। वर्ष 10–11 में ली गई योजनाओं की स्वीकृति 31.10.09 एंव 15.05.10 की हुई थी। इससे स्पष्ट होता है कि बी0 आर0 जी0 एफ0 अन्तर्गत प्राप्त राशि का उपयोग ससमय नहीं किया गया तथा राशि बाधित रहा। किस परिथिति में अनुदान राशि का उपयोग ससमय नहीं किया गया स्पष्ट नहीं किया गया। लेखापरीक्षा को यह बताया गया कि बोर्ड की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण लम्बित है। विशिष्ट उदेश्य हेतु प्राप्त राशि का उपयोग ससमय स्वीकृत योजना पर की जाने हेतु अविलम्ब कदम उठायी जाय।

12. अनुदान राशि का अवरोधन (₹18.03 लाख)

(i) चापाकल मद राशि का अवरोधन (₹7.08 लाख):–

वर्ष 2007–08 में माननीय विधायक एवं विधान पार्षद की अनुशंसा पर नगर पंचायत धोधरडीहा को पत्रांक 856/21.02.08 एवं 1711/29.03.08 द्वारा क्रमश ₹809160 एवं ₹35144का आवंटन चापाकल गाड़ने हेतु प्राप्त हुई। विधायक द्वारा 22 स्थलों की चयन सूची तैयार कर कार्यालय को 5.04.08 को उपलब्ध कर दी गई थी। सरकार के पत्रांक 1543/25.03.08 के द्वारा चापाकल निर्माण का कार्य 45 दिनों के अंदर सुनिश्चित किया जाना था।

विधायक पार्षद के द्वारा सूची उपलब्ध कराये जाने तथा सरकार के उपर्युक्त आदेश के बाबजूद नगर पंचायत द्वारा लगभग तीन वर्ष बीतने के बाद भी चापाकल नहीं लगाया गया। चापाकल नहीं लगाये जाने का कोई कारण भी अंकेक्षण में नहीं बताया गया। अनावश्यक रूप से चापाकल अनुदान राशि ₹ 708069.00 को अवरूद्व रहने के कारण संबंधित लाभार्थियों को लाभ से वंचित रहना पड़ा तथा अनुदान प्राप्ति का उदेश्य विफल हो गया। यधपि दिनांक 28.03.11 को चेक सं0 3.82161/28.03.11 के द्वारा ₹200000.00 श्री मदन मोहन झा को भुगतान किया गया। परन्तु भुगतान सं संबंधित कार्य की संचिका एवं अभिश्रव अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया। इसे अगले अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत की जाए तब तक व्यय की गई राशि ₹200000.00 लेखा परीक्षा आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

(ii) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना राशि का अवरोधन(₹2.14 लाख)

वर्ष 2006–07 से अंकेक्षण अवधि तक उपर्युक्त मद में कोई भी राशि व्यय नहीं की गई। संधारित रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31.03.11 को अव्यवहृत शेष ₹ 210728.00 था जबकि इस मद हेतु संधारित दो बैंकों में ₹ 214320.00 था। अव्यवहृत राशि का या तो सक्षम स्वीकृति से उपयोग की जाय अथवा इसे संबंधित स्वीकृतिदाता को वापस की जाय।

(iii) राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम की अनुदान राशि का अवरोधन ₹ 6.52 लाख

गंदी बस्ती के उत्थान के लिए राज्य सरकार से नगर पंचायत धोधड़डीहा को ₹ 1230000.00 का आवंटन जुलाई 05 में प्राप्त हुआ था। लगभग 7 वर्ष बीतने के बाबजूद इस मद में ₹ 652063.00 (बैंक पास बुक के अनुसार) अव्यवहृत थी। जिसके कारण गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम का लक्ष्य पूरा नही हो रहा थां

अव्यवहृत राशि के उपयोग हेतु यथाशीध्र आवश्यक कदम उठाया जाये अथवा यदि नगर पंचायत द्वारा ऐस किया जाना संभव न हो तो अनुदान स्वीकृतिकर्त्ता प्राधिकारी को अनुदान की राशि के वापस कर दिया जाये।

(iv) 11 वी वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का अवरोधन (₹ 2.29 लाख):–

11 वीं वित्त आयोग की योजना अवधि 2004–05 समाप्त हो जाने के बावजूद 8 (आठ) वर्षों बाद भी इस मद में 229077 (बैंक पास बुक) रू0 निरर्थक पड़ी हुई थी। साथ ही सरकार से बिना दिशा– निर्देश प्राप्त किये वर्ष 08–09 से 10–11 में कुल ₹217259.00 सड़क मरम्मति एवं चापाकल मद में व्यय किया गया। जिससे संबंधित संचिका एवं अभिश्रव भी लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। सरकार से दिशा–निर्देश प्राप्त कर एकादश वित्त आयोग की अनुपयोगित राशि को अनुदान संस्वीकृतिकर्त्ता प्राधिकारी को वापस किया जाये। व्यय किये गये राशि ₹ 217259.00 से संबंधित दास्तावेज अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाने तक उपरोक्त राशि को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

13. द्वादश वित्त अनुदान राशि की स्थिति

वर्ष 2008–09 से 2009–10 के द्वादश वित्त अन्तर्गत कुल ₹1507825.00 अनुदान प्राप्त हुए।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान अनुदान की स्थिति निम्नलिखित थी

व्यय विवरण:–

वर्ष	अनुदान राशि (₹)
2007–08 का अव्यवहृत राशि	311018.00 479660.00
2008–09 का अव्यवहृत	–239831.00
2009–10 का अव्यवहृत	1267994.00
	2298503.00

वर्ष	व्यय राशि (₹)
08–09	79583.00
09–10	257488.00
10–11	1617943.00
कुल	1955014.00

उपरोक्त अनुदान राशि से मदवार उपयोग की गई राशि की विवरणी स्वीकृति/वार्षिक कार्य योजना/ संवेदक का चयन।/उपयोग प्रमाण पत्र, संबद्व योजना संचिका/ क्रय संचिका/ परिश्रमिक भुगतान से संबंधित संचिका आदि अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गयां

संबंधित रोकड़ बही तथा उपलब्ध कराये गये योजना विवरणी से यह पाया गया कि द्वादस वित्त योजना के समयावधि के समाप्ति के बाद भी 10–11 में योजना ली गई। इसका कारण स्पष्ट नहीं किया बया।

उक्त अनुदान मद से वर्ष 08–09 में 2 योजनायें तथा 10–11 में 7 योजनाऐं ली गई जिसमें 2 योजाऐ (वर्ष 10–11) 31.03.11 को अपूर्णा थी जो वर्ष 11–12 में पूर्ण हुई। पूर्वोक्त वांछित कागजात अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाने तक द्वादश अन्तर्गत किया गया कुल व्यय ₹ 1955014.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता हैं

14. वसूली की राशि का जमा नहीं (₹732712.00)

बिहार म्यूनिसिपल लेखा नियमावली 1928 के नियम 21 एवं 22 के अनुसार नगर पंचायत निधि मद अन्तर्गत वसूल की गई राशि को एक मुश्त अविलम्ब संबंधित कोषागार खाता/निधि खाता में जमा किया जाना हैं। पुनः वसूलीकर्त्ता द्वारा दैनिक वसुली पंजी का संधारण किया जाना है जिसमें दैनिक वसूली एवं जमा का व्योरा होग॥ नगर पंचायत निधि मद में वसूली गई सभी राशियों की प्रविष्टि रोकड़पाल द्वारा रोकड़पाल रोकड़बही में की जानी है (नियम 15) पुनः वसुली राशि की जमा नगर पंचायत निधि में सुनिश्चित कर इसकी प्रविष्टि लेखापाल रोकड़बही में की जानी है (नियम 64)

पुनः उक्त नियमावली के विभिन्न नियमों के अन्तर्गत कार्यपालक पदाधिकारी/चेयरमेन आदि द्वारा भी लेखा की समय–समय पर जॉच की जानी है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि नगर पंचायत मद अन्तर्गत प्राप्त सभी राशि एक मुश्त समय पर नगर परिषद निधि में जमा की जा रही है या नही।

परन्तु नगरपंचायत घोघरडीहा में वसूली लेखा के जॉच के कम में पाया गया कि लेखानियमावली के पूर्वोक्त प्रावधानों का उल्लंधन कर न तो दैनिक वसुली पंजी का संधारण किया गया न ही रोकड़पाल रोकड़बही का यहॉ तक कि जो राशि नगर

पंचायत निधि में जमा नहीं की गई उसकी भी प्रविष्टि रोकड़पाल रोकड़बही (समिति निधि) में की गई जो विल्कुल ही अनियमि थी। किसी भी पदाधिकारी द्वारा वसली लेखा का कभी भी जॉच /पर्यवेक्षण नहीं किया गया फलस्वरूपर नगरपंचायत घोघरडीहा में दो वसूलीकर्त्ता श्री महेश कान्त झा सहायक (दैनिक) एंव श्री मानेजकुमार, टैक्स दारोगा द्वारा विविध रसीद के माध्यम से नगरपंचायत मद (दुकान किराया, निविदा कार्य ब्रिकी, ग्रउण्ड रेंट, वाहन कर वसूली/ एम्बुलेंस किराया आदि) अन्तर्गत वसुली गई राशि से आंशिक राशि जमा की गई। दोनो वसूली कर्त्ताओं द्वारा लेखा परीक्षा अवधि (17.03.12) तक ₹732712 जमा नहीं किया गया था जो गंभीर वित्तीय अनियमितता था।, संबंधित विवरण निम्नलिखित हैः–

पूर्ववर्त्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 383/08–09 (वर्ष 2002–03 से 2007–08) के कंडिका 3(ii) एवं 11 के अनुसार	235068
2008–09	66244.00
2009–10	99461
2010–11	203880
2011–12(17.03.12तक)	128059
	732712.00

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट – IV पर दर्शाया गया है।)

कुछ मामलों में दोनों वसुली कर्त्ता द्वारा एक ही बुक रसीद का व्यवहार किया गया था। एक ही अवधि में दो अलग–अलग रसीद बुक का भी उपयोग किया गया। जमा संबंधी ब्यौरा भी अलग–अलग दर्ज नही पाया गया फलस्वरूप दोनों वसुलीकर्त्ता द्वारा अलग–अलग कितने राशि की वसुली की गई तथा कितनी जमा की गई लेखापरीक्षा में स्पष्ट नहीं हो पाया

उच्चअधिकारी का ध्यान उपर्युक्त वित्तीय अनियमितताओं की और ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि दोनों वसुलीकर्त्ताओं द्वारा वसुल की गई राशि का आकलन कर नगरपरिषद निधि में जमा कराने हेतु यथाशीध्र नियमानुसार ठोस कदम उठाये जाय तथा वस्तुस्थिति से कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार पटना को अवगत कराया जाये।

15.होल्डिंग कर का निर्धारण नहीं

नगरपालिकाओं के आय का मुख्य स्रोत होल्डिंग कर है। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 127 में होल्डिंग कर निर्धारण किये जाने का प्रावधान है। परन्तु नगर पंचायत धोधरडीहा के स्थापना वर्ष 1985 से ही करों को निर्धारण नहीं किया गया है। इस संबंध में पूर्व के पुर्ववर्त्ती अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी आपत्ति किया गया था। इसके वावजूद नगर पंचायत, धोधरडीहा द्वारा करों का निर्धारण नहीं किया गया। फलस्वरूप नगर पंचायत को वर्षों से राजस्व की क्षति हो रही है। इस संबंध में यह बताया गया कि स्वकर निर्धारण हेतु दिनांक 15.10.11 एंव 05.11.11 को आम सूचना निर्गत की गई।

अंकेक्षण टिप्पणीः–

1. सड़कों की वर्गीकरण/ करों की दर का वोर्ड में अनुमोदित सूची/ स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

2. सरकार को इस संबंध में कोई सूचना दी गई या नहीं स्पष्ट नहीं किया गया। स्वीकृत सूची भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

3. आम सूचना किस माध्यम से जनता में प्रस्तुत किया गया स्पष्ट नहीं किया गया।

4. आम सूचना (दि0 5.11.11) के बाद इसकी कोई प्रगति संबद्व संचिका में नहीं थी जो स्पष्ट करता हे कि करों के निर्धारण की प्रक्रिया की गति संतोषजनक नहीं थीं नगर पंचायत के कार्यापालक अधिकारी/नगर पंचायत बोर्ड का ध्याान इस ओर आकृष्ट किया जता है कि होल्डिग कर के निर्धारण हेतु यथाशीध्र कदम उठाया जोय, जिससे राजस्वक की क्षति को रोका जा सके।

16. बन्दोबस्ती

(i) वधशाला बन्दोबस्ती

(1) (क) वधशाला के बन्दोबस्ती संबंधी संचिका के जॉच के कम में पाया गया कि श्री दिलीप कुमार यादव को दिनांक 15.07.08 से दिनांक 31.03.09 (हटिया दिन छोड़कर) ₹45.00 प्रति दिन मांस कटाई के लिए निर्धारित किया गया था। मार्च 2009 तक कुल ₹ 8370.00 वसुल किया जाना चाहिए था, जबकि उनके द्वारा मात्र ₹ 2000.00 अग्रिम जमा किया। शेष ₹6370.00 उनके द्वारा जमा नहीं किया गया था। संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि ₹ 6370.00 की वसूली के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। पृच्छा करने पर कहा गया कि अब वसूली की कारवाई करेंगे। यह प्रत्युत्तर मान्य नहीं है। अतएव ₹ 6370.00 वसूल कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

(1) (ख) दिनांक 1.04.08 से 14.07.08 एंव वर्ष 2009–10 तथा 10–11 की अवधि हेतु वधशाला की बन्दोबस्ती के लिए नगर पंचायत द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। दिनांक 15.07.08 से दिनांक 31.03.09 की बन्दोबस्ती के अनुसार दिनांक 1.04.08 से दिनांक 14.07.08 तथा वर्ष 2009–10 एवं 10–11 में बन्दोबस्ती नही किये जाने से नगर पंचायत को ₹28458.00 की हानि हई। अतएव ₹ 28458.00 की हानि को सम्बधित/जिम्मेदार व्यक्ति से वसूल कर नगर पंचायत कोष में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(ii) वाहन शुल्क बन्दोबस्ती

(क) भाड़े पर चलने वाले वाहन बस, ट्रक आदि से कर वसूली बन्दोबस्ती श्री भोगेन्द्र प्रसाद यादव पे0 स्व0 सुभरित यादव को दिनांक 1.02.09 से 31.03.09 तक के लिए रू0 175.00 प्रति दिन पर दिया गया।

23)

वसूली हेतु निर्धारित राशि - 59x₹175.00=₹10325.00
श्री भोगेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा जमा राशि:-

वसुली हेतु निर्धारित राशि श्री भोगेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा जमा राशि:– =59x₹175.00=₹10325.00

जमा विविध रसीद सं0 1754/29.01.09 =2000.00

जमा विविध रसीद सं0 1756/04.02.09=1000.00

कुल–3000.00

अतः शेष ₹7325 (10325–3000) श्री भोगेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा जमा नहीं की गयी। उसे वसूल करके नगर पंचायत कोष में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाये।

(ii) (ख) श्री भोगेन्द्र प्रसाद यादव ने दिनांक 21.01.09 को आवेदन दिया था कि मुझे दिनांक 23.01.09 से वसूली का आदेश दिया जाय। पर उन्हें दिनांक 23.01.09 से वसूली का आदेश न देकर दिनांक 1.02.09 से आदेश दिया गया जिस कारण नगर पंचायत को 9दि0 X175.00 =1575.00 के राजस्व की क्षति हुई। अतएव ₹1575.00 जिम्मेदार/ सम्बन्धित व्यक्ति से वसूल कर नगर पंचायत के कोष में जमा कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

(ii) (ग) दिनांक 17.10.08 तक भारी वाहन से कर वसूल किया गया परन्तु दिनांक 18.10.08 से दिनांक 22.01.09 तक वसूली नहीं किया गया। कारण पूछने पर बताया गया कि जिलाधिकारी द्वारा ओदश दिया गया कि वसूली बन्द की जाय पर संबंधित आदेश को दिखाया नहीं गया। इसलिए दिनांक 18.10.08 से 22.01.09 तक (कुल 97 दिन) में नगर पंचायत को 97X175=₹16975.00 की राजस्व हानि हुई। अतः ₹ 16975.00 जवाबदेह व्यक्ति से वसूलनिय हैं

(iii) फुटपाथ बन्दोबस्ती

वर्ष 2007–08 में फुटपाथ बन्दोबस्ती से नगर पंचायत को ₹180250.00 की आय हुई थी। नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 4 (व) विविध 104/2000–2773/ न वि आ वि दिनांक 20.07.2009 के द्वारा फुटपाथ दुकानदारों से टैक्स वसूली की बन्दोबस्ती पर रोक लगायी गयी थी। लेकिन नगर पंचायत द्वारा उसके पूर्व अवधि वर्ष 2008–09 से 19.07.2009 तक के फुटपाथ बन्दोबस्ती के लिए भी कोई प्राया नहीं किया गया। पृच्छा करने पर कहा गया कि कोई दुकानदार कर देने को तैयार नही है। बन्दोबस्ती नहीं होने के कारण नगर पंचायत को वर्ष 2008–09 से 19.07.2009 तक कम से कम ₹180250+₹54322.00 (180725X110/365) =₹234572.00 की संभावित राजस्व हानि हुई।

अतएव ₹ 234572.00 की हानि जिम्मेदार/संम्बन्धित व्यक्ति से वसूली कर नगर पंचायत निधि में जमा किया जाये तथा अगले अंकेक्षण में दिखया जाये।

17. बकाया दुकान किराया–₹ 2.62 लाख

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये बकाया दुकान किराया विवरणी के अनुसार फरवरी 2012 तक नगर पंचायत के 7 स्थानों पर अवस्थित विभिन्न दुकानदारों के पास कुल ₹ 262450.00 किराया के रूप में बकाया था।

(विवरणी परिशिष्ट V पर) उपलब्ध कराये गये विवरणी के जॉच में पाया गया कि कुछ मामले में दुकानदारों द्वारा बहुत दिनों से किराया नहीं दिया जा रहा है।

कम सं0	स्थान	दुकानदार	कब से बकाया	कुल राशि बकाया
1	पूर्व प्रखण्ड कार्यालय से दक्षिण भवन	श्री लालमणि यादव	जनवरी 06	14800.00
2	आई टी आई के सामने	श्री गणेश कुमार मंडल	जून 08	9000.00
3	आई टी आई के सामने	श्री सुमन बिहारी झा	जनवरी 04	19600.00
4	आई टी आई के सामने	श्री बहुरी प्रसाद	फरवरी 06	14600
				58000.00

वसूली हेतु कार्यालय द्वारा किये गये प्रयास से संबंधित संचिका किराया पंजी इत्यादि अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया। बकाया दुकान किराया की वसूली हेतु अविलब कारवाई की जाय।

18. बी0 आर0 जी0 एफ0 अन्तर्गत एम्बुलेंस का कय (विचलन ₹ 3.59 लाख)

वर्ष 2010–11 में बी0 आर0 जी0 एफ0 मद से नगर पंचायत द्वारा एक एम्बुलेंस कय किया गया जिसपर कुल ₹ 395323.00 व्यय हुआ विवरणी निम्न हैं

क0संख्या	अभिश्रव सं0 / तिथि	राशि (₹)	विवरण
1	11 / 13.01.11	293088.00	कृष्णा मोटर्स दरभंगा
2	12 / 19.02.11	85235.00	"
3	13 / 19.02.11	17000.00	श्री महेशकान्त झा, सहायक दैनिक को अग्रिम (एम्बुलेंस का समाग्री कय हेतु)
		395323.00	

बी0 आ0 जी0 एफ0 मद से एम्बुलेंस का क्रय किस प्रावधान के तहत किया गया स्पष्ट नहीं किया गया। नगर पंचायत द्वारा उत्तर दिया गया कि बी0 आर0 जी0 एफ मद से एम्बुलेंस के क्रय पर की गई विचलन की राशि ₹395323.00 की भरपाई समिति कोष से कर ली जाएगी।

पुनः क्रय से सबद्व संचिका, सक्षम स्वीकृति, वार्षिक कार्य योजना/ जिला योजना समिति से स्वीकृति, क्रय समिति के गठन, भंडार पंजी, लॉग बुक आदि लेखापरीक्षा में पस्तुत किया गया जिससे इसका आवश्यक लेखापरीक्षा जॉच नही किया जा सका

राशि का समिति निधि से भरपाइ तथा उपर्युक्त कागजात का अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाने तक ₹ 395323.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

19. बी0 आर0 जी0 एफ0 अन्तर्गत कार्यान्वित योजनाओं की स्थिति

बी0 आर0 जी0 एफ0 अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में कुल 7 योजनाएँ ली गई जिसमे से दिनांक 31.03.11 तक 6 योजनाएँ पूर्ण थी तथा 01 योजना अपूर्ण थी जो वित्तीय वर्ष 2011–12 में पूर्ण हुई।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–VI पर)

लेखा परीक्षा टिप्पणीः–

(i) योजना के चयन, स्वीकृति, जिला योजना से पारित योजना की सूची यदि है परिपेक्ष्य प्लान संवेदक के चयन से संबद्व संचिका आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गई। फलस्वरूप यह स्पष्ट नही हो पाया कि ली गई योजनाओं की सक्षम स्वीकृती थी या नहीं। इसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाय।

(ii) कार्यान्वित योजनाओं से श्रम सेस की राशि की कटौति नहीं

सरकार के निर्देशानुसार सभी प्रकार के निर्माण कार्य में श्रमिकों के कल्याणार्थ कुल निर्माण लागत का। प्रतिशत सेस के रूप में काटकर संबंधित विभाग में जमा करने का प्रावधान है। परन्तु नगर पंचायत घोघरडीहा में पाया गया कि किये गये कार्य से 1% के रूप में न तो सेस काटी गई न ही संबंधित खाता में जमा किया गया। अतः कुल कार्य का 1% राशि ₹ 20176 (2017551 का 1% सरकार के संबंधित खाता में जमा करवाने हेतु अविलम्ब कार्रवाई कर अंकेक्षण को अवगत करायी जाय।

(iii) कटौती की गई वैट/रायल्टी राशि का जमा नही (₹ 25821 +₹ 12911) संलग्न परिशिष्ट के क0 2 एंव 4 में वैट के रूप में कटौती की गई कुल राशि ₹ 25821 एवं रायल्टी के रूप में कटौती की गई ₹ 12911 सरकार के संबंधित शीर्ष खाते में जमा नहीं किया गया था। अतः ₹ 38732 का जमा संबंधित खाते में करवाने हेतु अविलम्ब ठोस कारवाई की जाय।

(iv) अनियमित भुगतान (₹ 7076.00)

निम्न योजनाओं में मापी पुस्तिका में फोटोग्रफी एवं योजना सूचना पट हेतु राशि दर्ज किया गया था तथा उसी के अनुरूप संवेदकों को भुगतान किया गया परन्तु संबंधित संचिका में सूचनापट गाड़े जाने/ लगाये जाने तथा फोटोग्राफी से संबद्व कोई प्रमाण/ साक्ष्य नही था। अतः उक्त मदों में संवेदक को किया गया भुगतान ₹ 7076 मान्य नहीं है तथा वसूलनीय है।

कम सं0		संवेदक का नाम (श्री)	राशि (₹)
1	कोशी बॉध से सूरज मुखिया वार्ड ना0 5	जीवकान्त झा	1500.00
2	दुर्गामिश्र धर से रेलवे डबरा तक नाला निर्माण वार्ड न0–09	जीवकान्त झा	1576.00
3	संजय झा धर से मुख्य सड़क तक पी0 सी0सी0 सड़क वार्ड न0 11	सुरेन्द्र कुमार	2000.00
4	पी0 डब्लू0 डी0 से दुर्गा मंदिर गेट तक पी0 सी0 सी0 सड़क वार्ड न0 08	धर्मेन्द्र कु0 सिंह	2000.00
			7076.00

(v) अन्य त्रुटियॉ

(i) योजनापंजी का संधारण नहीं किया गया था।

(ii) त्रिस्तरीय फोटोग्रफी नहीं किया गया।

(iii) सूचनापट/ शिलालेख के लगाये जाने का प्रमाण नही था।

(iv) अनुश्रवण एवं निगरानी समिति व समाजिक अंकेक्षण के प्रावधान का पालन नहीं किया गया

उपर्युक्त आपत्तियों का अनुपालन किया जाय।

20. राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम (NSDP)

राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नगर पंचायत धोधरडीहा को अंतिम अनुदान ₹1230000.00 जुलाई 2005 में प्राप्त हुआ था। उक्त आवंटन से पासवान टोला से आनंद नगर बॉध तक सड़क निर्माण (प्रा0 राशि 645500.00) एवं शेष राशि ₹ 585500.00 से आवास निर्माण कराने का निर्णय कमिटी की बैठक 20.12.06 में लिया गया। वित्तीय वर्ष 2010–11 की

19)

समाप्ति तक संधारित रोकड़ बही के अनुसार उक्त दोनों योजना में क्रमशः 147000.00 तथा ₹ 235600.00 का व्यय किया गया था।

अंकेक्षण आपत्ति :–

(i) न0 वि0 वि0 के पत्रांक 140003/03/16/दिनांक 28.05.03 के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार उक्त योजना का कार्यान्वयन नेबर हुड कमिटी या कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसायटी के द्वारा किया जाना था। नगर पंचायत द्वारा उपर्युक्त कमिटी/ सोसाइटी के गठन तथा उसके द्वारा योजना का चयन हुआ था या नहीं यह स्पष्ट नहीं किया गया।

(ii) नगर पंचायत द्वारा स्लम पैकेट को चिहिन्त किया गया या नहीं स्पष्ट नहीं किया गया जिसके कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि ली गई योजना एवं आवास निर्माण हेतु लाभार्थियों का चयन योजना के स्वीकृतादेश के अनुसार स्लम क्षेत्र से किया गया या नही।

(iii) आवास निर्माण हेतु मॉडल प्राक्कलन फरवारी 2002 में जारी किया गया था जिसमें ₹33800.00/आवास का दर निर्धारित किया गया था। उक्त योजना से 19 लाभर्थियों के आवास का निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2007–08 से 2010–11 में भुगतान ₹33800.00/ आवास की दर से किया गया था। वर्ष 2002 के प्राक्कलन के आधार पर वर्ष 2007–08 से 2010–11 तक में कार्य सम्भव था या नही। इसे स्पष्ट नहीं किया गया।

(iv) पासवान टोला से आनंद नगर बॉध तक सड़क निर्माण का कार्य 2007–08 में प्रारंभ किया गया था। कार्य से संबंधित योजना अभिलेख, अभिश्रव आदि लेखा–परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण कार्य की वर्त्तमान स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। उपरोक्त विन्दुओं को स्पष्ट किये जाने एवं संबंधित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने तक उक्त दोनों योजनाओं पर व्यय की गई कुल राशि ₹382600/(₹147000+₹235600) लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

21 असमायोजित अग्रिम

नगर पंचायत धोधड़डीहा के द्वारा अग्रिम पंजी का संधारण नहीं किया गया था। फलस्वरूप दिनांक 1.04.08 को असमायोजित अग्रिम वर्ष 08–09 से 10–11 में प्रदान एवं समायोजित अग्रिम तथा दिनांक 31.03.11 को असमायोजित अग्रिम की राशि का पता लेखापरीक्षा में नही चल सका। यद्वपि नगर पंचायत द्वारा संधारित समित कोष रोकड़ बही 18.08.10 एवं चेक निर्गत पंजी के अनुसार विभन कर्मचारियों को ₹243000.00 अग्रिम प्रदान किया गया था।

(विवरणी परिशिष्ट –VII पर संलग्न)। दी गई अग्रिम को सामंजन कर संधारित अग्रिम पंजी एवं अभिश्रव आदि अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाय।

22. दैनिक वेतन भोगी को पारिश्रमिक भुगतान

नगर विकास विभाग के पत्रांक 4/न0 अ0 1/99/1986 दिनांक 25.06.01 एवं समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश के बावजूद नगर पंचायत द्वारा दैनिक वेतनभोगी/मजदूरों को वर्ष 08–09 से 10–11 के दौरान कुल ₹514379 का भुगतान किया गया था। नगर पंचायत द्वारा उत्तर दिया गया कि सफाई मजदूरों के कार्यरत नहीं होने से दैनिक मजदूरों से कार्य करवाया गया। अतः सरकार से धटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त होने तक व्यय की गई राशि ₹514379.00 आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

विवरणी

1	**2008–09**	**समिति कोष**	**74134.00**
2	2009–10	समिति कोष	30078.00
3.	2010–11	समिति कोष	30286.00
4	2009–10	12 वीं वित्त आयोग	154488.00
5	2010–11	12 वी वित्त आयोग	225393.00
			514379.00

विस्तृत विवरण परिशिष्ट– VIII पर संलग्न)

23. अंकेक्षण का परिणाम

(क) अंकेक्षण के दौरान वसूल की गई राशि कुल राशि :– शून्य

(ख) वसूली हेतु सुझाई गई राशि :–₹1035063.00

(ग) अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गई कुल राशि :–₹3664575.00

(ध) अधिभार द्वारा वसूली के लिए सुझाई गई राशिः– शून्य

(विवरणी परिशिष्ट–IX पर)

24. कार्यपालक पदाधिकारी से वार्त्तालाप

लेखा परीक्षा आपत्तियों के संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी से दिनांक 17.03.2012 को चर्चा की गई।

25. सामान्य अभ्युक्ति

नगर पंचायत धोधरडीहा द्वारा लेखाओं का संधारण काफी असंतोषप्रद था। महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे – अनुदान पंजी, योजनापंजी रोकड़पाल रोकड़बही, दैनिक वसूली पंजी, अग्रिम पंजी आदि का संधारण नहीं किया गया था। नगर पंचायत द्वारा इसके स्थापन वर्ष 1985 से ही होल्डिंग कर का निर्धारण नहीं किया गया था जिसके कारण नगर पंचायत को भारी राजस्व की क्षति हो रही हैं। वसूलीकर्त्ता द्वारा वसूली गई राशि को एक मुश्त अविलम्ब जमा न कर आशिंक जमा किया जा रहा है। जिसके कारण वसूलीकर्त्ता के पास भारी राशि जमा नही पाई गई जो गंभीर वित्तीय अनियमितता है। होल्डिंग कर लगाये जाने हेतु अविलंब उच्चाधिकारी द्वारा सार्थक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है तथा वित्तीय अनियमितताएँ रोकने हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज का संधारण तथा समय –समय पर आंतरिक जॉच की अत्यंत ही आवश्यकता है।

–हस्ता0–

एस0 एन0 तवारी

(पर्यवेक्षक)

–अनुमोदित–

उपमहालेखाकार(एस0 एस0–I)

–सह–

स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार

16

सं0 एल0 ए0/एस0 एस0–1/ श0 स्था0 नि0/ दिनांकः–

कार्यपालक पदाधिकारी,नगर पंचायत घोघरडीहा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है।अनुरोध है कि प्रस्तुत अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाये गये सभी बिन्दुओं/आपत्तियों का जवाब प्रतिवेदन प्राप्त होने के तीन महिनों के अंदर इस कार्यालय में अवश्य भेज दिया जाय।

"यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गए सूचनाओं/विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।"

ह0/-
लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय,सोशल सेक्टर–I
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार ,पटना

सं0 एल0 ए0/एस0 एस0–1/ श0 स्था0 नि0/14315/925 दिनांकः– 14.12.12

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

(i) प्रधान सचिव,बिहार सरकार,नगर विकास एवं आवास विभाग,पटना

(ii) जिलाधिकारी, मधुबनी

14.12.12
लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय,सोशल सेक्टर–I
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार, पटना

परिशिष्ट – I

अंकेक्षण में प्रस्तुत किये एवं नमूना जाँच किये गये अभिलेखों की सूची

प्रतिवेदन कंडिका सं० 3 पर संदर्भित

---

(1) विविध रसीद
(2) विविध रसीद का भंडार पंजी
(3) सेवापात्र रोकड़वही (समिति कोष)
(4) बैंक पासबुक
(5) पी० एम० रवाना (रोकड़वही)
(6) 12वीं वित्त आयोग, ~~रोकड़वही~~ योजना मद एवं क्षेत्र योजना मद, व्यवसायिक दुकान, कवेर अंत्येष्टी, निर्वाचन, विधायक/सांसद निधि कोष, पाथा कर इत्यादि का रोकड़ वही एवं बैंक पासबुक
(7) वस्तोवस्ती ~~संचिका~~/संचिका (मैदान संचिका)
(8) योजना अभिलेख (~~संचिका~~) (B.R.G.F.)
(9) गृहकर निष्कासन संबंधि संचिका
(10) प्रशासनिक भवन निर्माण से संबंधित संचिका

हस्ताक्षर
पर्यवेक्षक

परिशिष्ट — II

अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये अभिलेखों की सूची

(प्रतिवेदन के कंडिका सं० 3 पर संदर्भित)

(1) आकस्मिक पंजी
(2) दैनिक वसूली पंजी
(3) ~~योजना पंजी~~ योजना संचिका ~~(स्थायी)~~ (B.R.G.F. दौड़कर)
(4) मूल्य पंजी
(5) बजट
(6) सेवा पुस्तिका / व्यक्तिगत संचिका / छुट्टी लेखा
(7) आगीम पंजी
(8) स्वीकृत व्यय / संकार्यरूपवत संचिका / पंजी
(9) दुकान का मांग पंजी
(10) रोकड़ बही रोकड़ बही
(11) योजना पंजी
(12) बन्दोबस्ती पंजी (सैरात पंजी)
(13) जोखिम टाइप संचिका
(14) अभिभार / वेतन अभिभार
(15) भविष्यनिधि / पेंशन लेखा
(16) क्रय संचिका

हस्ताक्षर
पर्यवेक्षक

परिशिष्ट III

कंडिका सं० 9 में संदर्भित

सरकारी अंशदान

क्र. सं.	तिथि	शीर्षक/विवरण	स्वीकृति आदेश सं०/तिथि	राशि (₹)	उद्देश्य
	~~24.4.08~~ ~~13.5.08~~	12 वित्त FC	1617/27.3.08 व.वि.वि.	2,39,831	12 वित्त FC 2 मार्च 5 मुद्रा
1.	17.7.08	वी.डा.एरियर	आ० 706/19.3.08	246,416	वेतन
2.	19.2.09	"	पत्रांक 5908 दि 1.10.08.	2,98,013	
3.	20.3.09.	"	पत्रांक 10/13.1.09.	1,65,000	कर्मचारी अग्रिम
4.	"	"	आ. 4595 दि 29.6.08.	61,800	निवासमान (सकल/अवकाश/...)
5.	11.12.09.	"	पत्रांक. 1156/23.7.09.	1,65,000.	कर्मी अग्रिम
6.	13.12.09.	"	आ. 1037/12.5.09.	867400	आवधिक मुद्रांक शुल्क.
7.	19.12.09.	"	आ. 121/10.9.09.	1,47,355	वेतन.
8.	31.3.10	"	चयनित नहीं	61,800.	कार्यपालिका के सदस्यों एवं अध्यक्ष.
9.	"	"	"	12,67,994.	12वें वित्त आयोग.
10.	"	"	"	1,97,801.	आवधिक मुद्रांक शुल्क.
11.	"	"	"	2,11,805.	सेवानिवृत्त लाभ.
12.	29.3.11.	"	" 2229/21.6.10	1,25,000.	कर्मी अग्रिम
13.	"	"	"	20,00,000.	पौधों के निर्माण/जीर्णोद्धार
14.	"	"	"	14,00,000.	नालों के निर्माण/जीर्णोद्धार
15.	"	"	"	6,00,000.	13वें वित्त.
16.	"	"	"	61,800.	पालिकाओं के सदस्यगण.
17.	"	"	"	99,412	वेतन.
18.	30.3.11.	"	"	2,76,173.	आवधिक मुद्रांक शुल्क
19.	"	"	"	7,51,815.	सेवानिवृत्त लाभ.
20.	19.6.08.	वी.डा.पी.एरियर.	" 30.वि.सा.सं. संख्या	7,47,805	वी.डा.पी.एरियर.
21.	18.6.09.	"	" 605 वि.व. 23.5.09	7,32,645	1 — [82483-07-08, 650162-08-09]
22.	31.12.09	"	"	5,84,695	" 09-10
23.	9.11.10 29.11.10.	"	"	3,55,496, 2,45,158	"

परिशिष्ट IV

नगर पंचायत बीचपरडीहा के विज्ञप्ति सं० 1/4-.. में संदर्भित वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक विभिन्न के द्वारा श्री अदेश कुमार, सहायक रा० श्री मनोज कुमार, टैक्स दरोगा की द्वारा वसूली एवं जमा की विवरणी

क्रम सं०	विभिन्न रसीद सं० 2008-09	दिनांक	वसूल की गई राशि	पूर्व का बकाया	कुल	बैंक में जमा पर्ची संख्या	जमा राशि	शेष जमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1609 से 1624 1550 से 1597	1.4.08 से 30.4.08	8,982=00			8.4.08 16.4.08	1650 1850 3500	5482=00
2.	1595 से 1600 1701 से 1705 1625 से 1636 1801 से 1830	1.5.08 से 31.5.08	50,190=00 + 5,482=00 = 55,672=00			3.5.08 7.5.08 8.5.08 10.5.08 16.5.08 20.5.08 23.5.08 23.5.08 23.5.08	2,680 31,450 952 5000 578 2500 4275 100 100 47635	= 8,037=00
3.	1831 से 1873 1706 से 1712 1637 से 1651	1.6.08 से 30.6.08	27,341 + 8037 = 35,378			13.6.08 13.6.08	13,000 2,001 15001	20,377=00
4.	1652 से 1672 1713 से 1717	1.7.08 से 30.7.08	25,540 + 20,377 = 45,917			1.7.08 1.7.08 25.7.08	2200 2288 12000 16488	29,429=00
5.	1673 से 1688 1718 से 1730	1.08.08 से 30.8.08	37115 + 29,429 = 66,544			— Nil		66,544=00
6.	1731 1689-1690	5.9.08 से 25.9.08	13,245 + 66,544 = 79,789			15.9.08	20,150	59,639=00
7.	1732 से 1735 1692 से 1694 1550	1.10.08 29.10.08	22,100 + 59,639 = 81,739			24.10.08 27.10.08 31.10.08	7,500 6,000 4,800 18,300	63,439=00
8.	1736 से 1739 1695	14.11.08 से 28.11.08	15,870 + 63,439 = 79,309			12.11.08 13.11.08 14.11.08 18.11.08 19.11.08	2000 5000 14800 5125 21900 48825	30,484=00
9.	1740 से 1746 1698 से 1698	11.12.08 से 24.12.08	19240 + 30,484 = 49,724			3.12.08 20.12.08	19045 12150 31195	18,529=00
10.	1747 से 1754 1699 से 1700 1901 से 1902	2.1.09 से 29.1.09	26035 + 18529 = 44564 2,[illegible]			— Nil —		44,564=00

Ajanta Oxford

2	3	4	5	6	7	8	9
					B.F.		44,564=00
11 1903 से 1904 1906 से 1912 1755 से 1760	3.2.09 से 17.2.09	29700+44,564 = 74,264	—		—Nil—		74,264=00
12. 1913 से 1933 1761	3.3.09 से 28.3.09	22,780 + 74,264 = 97,044 2,98,138=00			12.3.09 25.3.09	19000 11800 30800 2,31,894=00	66,244=00
2009-10							
13. 1762 से 1765 1934	1.4.09 से 30.4.09	4840 + 66,244 = 71,114			—Nil—		71,114=00
14. 1935 से 1937 1766	5.5.09 से 29.5.09	2,230 + 71,114 = 73,344			—Nil—		73,344=00
15. 1767 से 1768 1938 से 1943	5.6.09 से 29.6.09	7820 + 73,344 = 81,164			30.6.09	4820	76,344=00
16. 1944 से 1986 1769 से 1773	2.7.09 से 31.7.09	1,43,165 + 76,344 = 2,19,509			27.7.09 30.7.09 30.7.09 31.7.09	93,255 22,920 7,500 8,800 1,32,475	87,034=00
17. 1987 से 1992 1774 से 1788	1.8.09 से 28.8.09	1,07,700 + 87,034 = 1,94,734			11.8.09 21.8.09 31.8.09	42,500 35,000 15,950 93,450	1,01,284=00
18. 1789 से 1791 1793 से 2000 2001 से 2006	3.9.09 से 19.9.09	7,195 + 1,01,284 = 108,479			—Nil—		1,08,479=00
19. 2007 से 2033 1792 से 1797	1.10.09 से 31.10.09	87,654 + 1,08,479 = 1,96,133			8.10.09 8.10.09 8.10.09 8.10.09 [illegible].10.09 19.10.09 20.10.09 26.10.09	1600 23600 9000 3600 10300 500 17000 14150 79750	1,16,383=00
20 2034 से 2069 1798 से 1800	3.11.09 से 27.11.09	89,337 + 1,16,383 = 2,05,720			2.11.09 4.11.09 6.11.09 9.11.09 10.11.09 11.11.09 11.11.09 12.11.09 13.11.09 16.11.09 24.11.09 27.11.09 30.11.09	600 500 1200 10600 1200 3550 3600 31000 14700 320 800 12000 9500 89,570	1,16,150=00

2	3	4	5	6	7	8	9
						B.F.	1,16,150=00
२१. २०७० से २०७७ १८७५ से १८७९	5.12.09 से 23.12.09	28,200 + 1,16,150 = 1,44,350		5.12.09 5.12.09	17,00 13,000 14,700		1,29,650=00
२२. १८८०से १८७७ २०७८	2.1.10 से 23.1.10	11,360 + 1,29,650 = 1,41,010		—— Nil ——			1,41,010=00
२३. १८८९ से १८९३ २०७९ से २०८१	2.2.10 से 23.2.10	2,360 + 1,41,010 = [1,43,370] 143370.00		—— Nil ——			1,43,370=00
२४. २०८२ से २०९५ १८९५ से १९००	3.3.10 से 25.3.10	45,585 + 1,43,370 = 1,88,955 5,37,496=00		30.3.10 23.3.10	4000 19,250 23,250 4,38,015=00		1,65,705=00
2010-11							
२५. २०९६ से २०९८	7.4.10 से	938 + 1,65,705 = [1,65,643] 166643		13.4.10	17,000		1,49,643=00
२६. २०९९ से २१०० २१०१ से २१०८ २२०५ से २२०६	24.4.10 8.5.10 से 29.5.10	9,700 + 1,49,643 = 1,59,343		—— Nil ——			1,59,343=00
२७. २१०९ से २१२९ २२०९ से २२१०	3.6.10 से 17.6.10	16,400 + 1,59,343 = 1,75,743		30.6.10.	10,000		1,65,743=00
२८. २१३० से २१५९ २२११ से २२३०	1.7.10 से 30.7.10	51,306 + 1,65,743 = 2,17,049		15.7.10 28.7.10 31.7.10	4,200 18,800 5,620 28,620		1,88,429=00
२९. २१६० से २१७२ २२२१ से २२२३	2.8.10 से 28.8.10	16,378 + 1,88,429 = 2,04,807		—— Nil ——			2,04,807=00
३०. २२२४ से २२२६ २१७३ से २१८५	11.9.10 से 25.9.10	44,278 + 2,04,807 = 2,49,085		20.9.10 25.9.10 27.9.10	21,200 1,700 2,600 24,800		2,24,285=00
३१. २१८६ से २१९९ २२२७ से २२२८	8.10.10 से 29.10.10	11,150 + 2,24,285 = 2,35,435		1.10.10 28.10.10 29.10.10 30.10.10	500 2200 4,650 450 7,800		2,27,635=00
३२. २२०० २३०१ से २३१३ २२३० से २२३५	2.11.10 से 20.11.10	34,500 + 2,27,635 = 2,62,135		3.11.10 26.11.10	800 8400 9,200		2,52,935=00
३३. २३१५ से २३३० २२३६ से २२५१	10.12.10 से 31.12.10	56,760 + 2,52,935 = 3,09,695		11.12.10 30.12.10	3,700 12,450 16,150		2,93,545=00
३४. २२५२ से २२५६ २३३१ से २३६६	14.1.11 से 29.1.11	56,950 + 2,93,545 = 3,50,495		15.1.11 19.1.11 24.1.11 27.1.11 31.1.11	6,300 10,860 9,000 10,200 4,350 42,910	1300	3,08,485=00
३५. २३६७ से २३७३ २२५७ २५०१ से २५०३	3.2.11 से 28.2.11	16,200 + 3,08,485 = 3,24,685		—— Nil ——			3,24,685=00

Ajanta Oxford

2	3	4	5	6	7	8	9
						B.F.	3,24,685=00
36. २३७५ से २५००	6.3.11	95,050 + 3,24,685 = 4,19,735		18.3.11	5000		3,69,585=00
२२५८ से २२७१	से			18.3.11	27000		
२५०२ से २५२५	31.3.11	4,09,610=00		30.3.11	18150		
					50,150		
					205,730=00		
2011-12							
37. २५०५	2.4.11	15375 + 3,69,585 = 3,84980		2.4.11	12700		3,68,280=00
२५२६ से २५५५	से			30.4.11	4,000		
२२७२ से २२७४	30.4.11				16,700		
38. २२७९ से २२८५	2.5.11	8,847 + 3,68,280 = 3,77,127			— Nil —		3,77,127=00
२५४६ से २५५६	से						
२५०६	27.5.11						
39. २२८५ से २२९३	2.6.11	13,490 + 3,77,127 = 3,90,617			— Nil —		3,90,617=00
२५५१	से						
२५०६ से २५११	29.6.11						
40. २५१२ से २५१५	1.7.11	19,657 + 3,90,617 = 4,10,274		29.7.11	12,200		3,98,074=00
२२९५ से २३००	से						
२५६८ से २५६८							
२६०१ से २६०६	28.7.11						
41. २५६९ से २५७८	1.8.11 से	11,761 + 3,98,074 = 4,09,835			— Nil —		4,09,835=00
२६०७ से २६१३	30.8.11						
42. २६१४ से २६१५	3.9.11 से	21,284 + 4,09,835 = 4,31,119			— Nil —		4,31,119=00
२५१५ से २५२५	30.9.11						
२५७१ से २५९६							
43. २५९७ से २६००	12.10.11	22,340 + 4,31,119 = 4,53,459		31.10.11	23,550		4,29,909=00
२६१६ से २६१९	से						
२७०१ से २७१२							
२५२६ से २५२८	29.10.11						
44. २५२९ से २५३७	3.11.11	15,820 + 4,29,909 = 4,45,729			— Nil —		4,45,729=00
२७१३ से २७१६	से						
२६२० से २६२७	25.11.11						
45. २६२९ से २६३५	7.12.11	26,145 + 4,45,729 = 4,71,904		30.12.11	12600		4,59,304=00
२५३८ से २५५०	से						
२७१७ से २७३७	30.12.11						
46. २६३६ से २६३९	5.1.12			2.1.12	2500		4,76,904=00
२५५१ से २५६२	से			19.1.12	9,165		
२७३८ से २७५३	31.1.12	28,365 + 4,59,304 = 4,87,669			11,665		
47. २५६३ से २५६७	11.2.12	27,065 + 4,76,904 = 5,03,169		25.2.12	15,165		4,83,304=00
२७६५ से २७६३	से			27.2.12	4,700		
	29.2.12				19,865		
48. २७७६ से २७७९	2.3.12	14,340 + 4,83,304 = 4,97,644			— Nil —		4,97,644=00
२६५० से २६५१	से				96,480=00		
२५६८ से २५६२	16.3.12	254,539=00	224539				

सार	अकुशली राशि	प्रारंभिक राशि	प्रीमियम
08-09	2,98,138	2,31,894	66,244
09-10	5,37,476	4,38,015	99,461
10-11	4,09,610	2,05,730	2,03,880
11-12 (15.3.12)	224,539	96,480	1,12,669
	14,69,763	9,72,119	4,97,644

1,28,059

जुर्माना

परिशिष्ट V

कंडिका सं017 में संदर्भित

नगर पंचायत कार्यालय, नगर पंचायत बाराबंकी (बाराबंकी)

नगर पंचायत कार्यालय प्रांगण तथा परिभवन (6'x8') का पक्का भाड़ा विवरण। दर:- 200/- प्रतिमाह

01. गुलाब चौधरी	अक्टूबर-2011 से फरवरी-2012 तक	1,000=00
02. जयशंकर जा	अक्टूबर-2010 से फरवरी-2012 तक	3,400=00
03. जय नाथ बन्धु	फरवरी-2012 का	200=00
04. हर्ष नारायण जा	मार्च-2012 का	—
05. सुभाष कुमार जा	जनवरी-2011 से फरवरी-2012 तक	2,800=00
06. अमला कुमार लोहे	अक्टूबर-2011 से फरवरी-2012	1,000=00
07. अशोक कुमार मिश्र	जून-2011 से फरवरी	1,800=00
08. राजेन्द्र जा	जनवरी-2012 से फरवरी-2012	400=00
09. गुलाब जी जा	अप्रैल-2010 से फरवरी-2012	4,600=00
10. दिनेश कुमार सिंह	जनवरी-2012 से फरवरी-2012 तक	400=00
11. कृष्णदेव मिश्र	दिसम्बर-2011 से फरवरी-2012 तक	600
12. सुभाष चन्द्र गुप्ता	जनवरी-2012 से फरवरी-2012 तक	400=00
13. रतन लाल वर्मा	फरवरी-2012 का	200=00
14. सुनील कुमार जा	मार्च-2012 का	—
15. कृष्ण कान्त जा	जनवरी-2012 से फरवरी-2012 का	400=00
16. सुनील कुमार जा पु० स्व० जगदीश जा	जनवरी-2012 से फरवरी-2012 का	400=00
		[17,000=00] 17600

नगर पंचायत कार्यालय प्रांगण परिभवन (8'x8') का पक्का भाड़ा विवरण। दर:- 250/- प्रतिमाह

01. मिश्री कुमार जा	नवम्बर-2011 से फरवरी-2012 तक	1,000=00
02. लक्ष्मी कुमार मिश्र	नवम्बर-2010 से फरवरी-2012 तक	4,000=00
03. सच्चिदानन्द जा	जून-2011 से फरवरी-2012 तक	2,250=00
04. हरिमोहन जा	दिसम्बर-2011 से फरवरी-2012 तक	750=00
		8,000=00

नगर पंचायत कार्यालय के नीचे भवन (6'x12') का पक्का भाड़ा विवरण। दर:- 200/- प्रतिमाह

01. मुकेश कुमार जा	जनवरी-2012 से फरवरी-2012 तक	400=00
02. संजीत कुमार जा	जनवरी-2012 से फरवरी-2012 तक	400=00
03. नरेन नारायण जा	अप्रैल-2011 से फरवरी-2012 तक	2,200=00
04. कृष्णा कुमार जा	जनवरी-2011 से फरवरी-2012 तक	2,800=00
05. राजेश्वर प्रसाद लोहा	जुलाई-2010 से फरवरी-2012 तक	4,000=00
06. त्रिलोकी नाथ जा	अप्रैल-2011 से फरवरी-2012 तक	2,200=00
07. अनिल कुमार जा	अप्रैल-2011 से फरवरी-2012 तक	2,200=00
08. राकेश कुमार जा	जनवरी-2012 से फरवरी-2012 तक	400=00
09. उमेश कुमार जा	सितम्बर-2010 से फरवरी-2012 तक	7,200=00
10. वन्दना देवी	नवम्बर-2011 से फरवरी-2012 तक	800=00
		22,600=00

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत बाराबंकी
(बाराबंकी)

55

पूर्व प्रखण्ड कार्यालय के सामने भवन (10x8) पुराना का प्रकाशभाड़ा विवरण | दर- 450/- प्रतिमाह

01. मिथिलेश कुमार सिंह — मार्च-2012 का
02. बड़ेलाल मेहता — जनवरी-2010 से फरवरी-2012 तक — [illegible]
03. भोम प्रकाश मेहता — जनवरी-2011 से फरवरी-2012 तक — 6,300=00
04. इन्द्रमोहन झा — मार्च-2011 से फरवरी-2012 तक — 5,400=00
05. परम नारायण सिंह — नवम्बर-2011 से फरवरी-2012 तक — 1,800=00
06. उदय नारायण सिंह — नवम्बर-2011 से फरवरी-2012 तक — 1,800=00
07. नारायण झा — जनवरी-2012 से फरवरी-2012 तक — 900=00
08. शंकर कुमार ठाकुर — जनवरी-2012 से फरवरी-2012 तक — 900=00
09. विजय कुमार झा — मार्च-2011 से फरवरी-2012 तक — 5,400=00
10. दिलकुदेव सिंह — जुलाई-2011 से फरवरी-2012 तक — 3,600=00
11. रामलगन यादव — जुलाई-2010 से फरवरी-2012 तक — 9,000=00
12. मनोज कुमार यादव — जुलाई-2010 से फरवरी-2012 तक — 9,000=00
13. ज्ञानेन्दु कुमार — दिसम्बर-2011 से फरवरी-2012 तक — 12,150=00
14. योगेन्द्र यादव — जुलाई-2011 से फरवरी-2012 तक — 13,600=00

कुल 71,850=00

पूर्व प्रखण्ड कार्यालय के सामने नव निर्मित भवन (10x8) का प्रकाशभाड़ा | दर- 300/-

01. मो० कमरुल हक — मार्च-2011 से फरवरी-2012 तक — 3,300=00
02. देवकुमार यादव — मार्च-2012 का
03. पुरुषोत्तम झा — फरवरी-2012 का — 300=00
04. नवीनलाल साह — जून-2011 से फरवरी-2012 तक — 2,700=00
05. मजिद कुमार झा — जुलाई-2011 से फरवरी-2012 तक — 2,400=00
06. दिनेश प्र० यादव — अक्टूबर-2011 से फरवरी-2012 तक — 1,500=00
07. संजीव कुमार पोद्दार — जनवरी-2012 से फरवरी-2012 तक — 600=00
08. नरेन्द्र कुमार — मार्च-10 से जून-10 तक - 600/- (दर-150/-) जुलाई-10 से फरवरी-10 तक - 6000/- (दर-300/-) — 6,600=00
09. मानोज कुमार — मार्च-2011 से फरवरी-2012 तक — 3,600=00
10. रवि रंजन पोद्दार — जनवरी-2012 से फरवरी-2012 तक — 600=00
11. संजय कुमार — जनवरी-2012 से फरवरी-2012 तक — 600=00
12. बसंत कुमार यादव — जनवरी-2011 से फरवरी-2012 तक — 4,200=00
13. राजन कुमार — मार्च-2012 का
14. राजेश कुमार सिंह — नवम्बर-2011 से फरवरी-2012 तक — 1,200=00
15. धीरज कुमार यादव — फरवरी-2011 से फरवरी-2012 तक — 3,900=00

कुल 31,500=00

कार्यालय नगर पंचायत बोचहा (मुजफ्फरपुर) — दर - 200/- प्रतिमाह

पूर्व प्रखण्ड कार्यालय के दक्षिण भवन (6'x14') का बकाया भाड़ा विवरण।

01.	महेन्द्र कुमार यादव	मार्च - 2012 का	—
02.	जय नारायण मिश्रा	अगस्त - 2009 से फरवरी - 2012 तक	6,200=00
03.	राजीव कुमार	नवम्बर - 2011 से फरवरी - 2012 तक	800=00
04.	सुरेन्द्र यादव	मार्च - 2012 का	—
05.	राम नारायण प्रसाद	अगस्त - 2011 से फरवरी - 2012 तक	1,400=00
06.	रामचन्द्र मिश्रा	अगस्त - 2009 से फरवरी - 2012 तक	6,200=00
07.	लाल बहादुर यादव	अप्रैल - 2010 से फरवरी - 2012 तक	4,600=00
08.	मो० नन्हे अंसारी	फरवरी - 2012 का	200=00
09.	लालमणि यादव	जनवरी - 2006 से फरवरी - 2012 तक	14,800=00
10.	जीवछ प्रसाद यादव	मार्च - 2012 का	—
11.	कन्हैया चन्द्र कुमार	नवम्बर - 2009 से फरवरी - 2012 तक	5,600=00
12.	पूनम प्रसाद	जनवरी - 2010 से फरवरी - 2012 तक	5,200=00
			45,000=00

बोचहा थाना० थाना के सामने भवन (6'x12') का बकाया भाड़ा विवरण। दर - 200/- प्रतिमाह

01.	प्रभु नारायण प्रसाद	मई - 2011 से फरवरी - 2012 तक	2000=00
02.	मुकुल जी	फरवरी - 2011 से फरवरी - 2012 तक	2600=00
03.	गणेश कुमार मिश्रा	जून - 2008 से फरवरी - 2012 तक	9,000=00
04.	रमन बिहारी झा	जनवरी - 2004 से फरवरी - 2012 तक	19,600=00
05.	धीरेन्द्र कुमार झा	नवम्बर - 2011 से फरवरी - 2012 तक	800=00
06.	बछरी प्रसाद	फरवरी - 2006 से फरवरी - 2012 तक	14,600=00
07.	ब्रज नारायण यादव	जुलाई - 2009 से फरवरी - 2012 तक	12,800=00
08.	अमित कुमार	मार्च - 2012 से फरवरी - 2012 तक	4,800=00
			66,200=00

कुल बकाया

1.	भवन (6'x8')	17,000=00
2.	भवन (8'x8')	8,000=00
3.	भवन (6'x12')	22,600=00
4.	भवन (10'x8') पुराना	71,550=00
5.	भवन (10'x8') नया	31,500=00
6.	भवन (6'x14')	45,000=00
7.	भवन (6'x12')	66,200=00
		2,61,850=00
		+600
		262450

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत बोचहा
(मुजफ्फरपुर)
16/03/12

योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

नगर पंचायत / नगर परिषद / नगर निगम का नाम :- परिशिष्ट - 'क'

मद :- बी.आर.जी.एफ. (10%) कंडिका सं० -19- में संदर्भित

वित्तीय वर्ष :-

क्र०	योजना सं० / वर्ष	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	तकनीकी स्वीकृति की तिथि	प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि	कार्यादेश तिथि	संवेदक ~~अभिकर्ता~~ का नाम (सं०)	कार्य पूर्ण करने का निर्धारित समय	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	एकरारनामा की राशि	कुल व्यय (31.3.11) भुगतान की राशि	रायल्टी	बैट	आयकर	कुल	अंतिम मापी की ~~तिथि राशि~~	अंतिम मापी की तिथि	कार्य की स्थिति	अभि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		18	19	20	21
1		[illegible] से PWD सड़क तक मिट्टी एवं डिस्ट सोलिंग (वर्क नं. 4)	159100	1.11.09	31.10.09	18.3.11	मदन मोहन झा	7								159263	25.6.11	पूर्ण	
2		[illegible] से [illegible] तक नाला (वर्क नं. 5)	346,300		31.10.09	29.11.10	जीवकान्त झा	1 माह	20.2.11	346300	315,041	6867	13733	7691	343332	343,332	27.2.11	पूर्ण	
3		रामचन्द्र झा कालोनी से सोनू झा के घर तक पी.सी.सी. सड़क (वर्क नं. 8)	207200		,,	13.8.10	सुनील कु. सुमन				194271	—	8288	4641	207200	216473	31.8.10	पूर्ण	
4		श्रीपालजी झा घर से ~~[illegible]~~ दुर्गा मिश्र घर तक नाला निर्माण (वर्क नं. 9)	302200		,,	30.11.10	मदन मोहन झा	1 माह			277099	6044	12088	6769	302200	314728	30.1.11	पूर्ण	
5		दुर्गा मिश्र के घर से [illegible] डकरा तक नाला निर्माण (वर्क नं. 9)	302,200	1.11.09	,,	28.7.10	जीवकान्त यादव	1 माह			283343	—	12088	6769	302,200	302,538	26.9.10	पूर्ण	
6		संजय झा के घर से मुख्य सड़क तक P.C.C. सड़क निर्माण (वर्क नं. 11)	474,000	11.6.10	15.5.10	5.8.10	सुरेन्द्र कुमार	6 माह			444422	-	18960	10618	474000	474246	16.8.10	पूर्ण	
7		PWD सड़क से दुर्गा मंदिर जैट तक PCC सड़क (वर्क नं. 8)	2,06,900	,,	,,	,,	धर्मेन्द्र कुमार सिंह	,,			193989	-	8276	4635	206900	206,971	13.8.10	पूर्ण	

परिशिष्ट VII

कंडिका सं. 21 ... से संबंधित

43

कर्मचारियों के कल्याण की विवरणी

08-09

क्र.सं.	चेक सं./दिनांक	राशि	विवरणी
1.	195213/5.4.08	2,000	पुरुषोत्तम सिंह, चपरासी (वेतन के विरुद्ध)
2.	195218/30.4.08	5,000	महेश कांत झा, लेखाकार
3.	195219/8.5.08	13,000	महेश कांत झा, "
4.	195222/17.5.08	5,000	मनोज कुमार, वेतनवाहक
5.	195234/25.6.08	5,000	रामेश्वर मल्लिक, झाड़ूकश
6.	195235/25.6.08	5,000	गिरजा देवी, झाड़ूकश
7.	195249/13.8.08	2,000	महेश कांत झा,
8.	19951/26.8.08	5,000	रामेश्वर मल्लिक, झाड़ूकश
9.	498706/23.1.09	1,000	महेश कांत झा.
~~10.~~	~~498711/14.4.09~~	~~1,500~~	

कुल: 43,000

09-10

1.	498711/14.4.09	1,500	महेश कांत झा
2.	498726/28.8.09	5,000	भुवन कुमार झा, सफाई जमादार
~~3.~~	~~498733/~~		

कुल - 20,000

10-11

1.	498753/2.4.10	20,000	भुवन कुमार झा, सफाई जमादार
2.	498754/2.4.10	20,000	मनोज कुमार, वेतनवाहक
3.	498774/26.6.10	5,000	भुवन कुमार झा
4.	498775/26.6.10	5,000	—— " ——
5.	498777/28.6.10	10,000	—— " ——
6.	498776/28.6.10	5,000	—— पुरुषोत्तम सिंह, अनुसेवक
7.	498780/16.7.10	10,000	— गिरजा देवी, झाड़ूकश
8.	498781/16.7.10	5,000	— पुरुषोत्तम सिंह, अनु.
9.	498783/18.8.10	15,000	— " —
10.	498784/2.8.10	10,000	— भुवन कुमार झा,

(18.08.10 से रोकड़ बही सत्यापित नहीं किया गया है)

कुल - 1,05,000

3

114

10.11

1. 498794 / 4.[illegible].10 — 20,000 — [illegible], [illegible]
2. 773077 / 12.1.11 — 15,000 — — " —
3. 773078 / 12.1.11 — 15,000 — [illegible], [illegible]
4. 773079 / 12.1.11 — 25,000 — [illegible] का, [illegible]

75,000

[illegible]

परिशिष्ट - VIII

कंडिका सं० 22 में संदर्भित

दैनिक मजदूरों / कर्मचारियों को दी गयी मुआवजा

(समिति कोष रोकड़ बही)

08-09

क्र. सं.	चेक सं./दिनांक	राशि	विवरण
1.	19210/1.4.08	3854	महेश राम के ~~नाम से सफाईकर्मी~~ के नाम से सफाईकर्मी को
2.	[illegible]	4182	सफाईकर्मी को
3.	[illegible]/14.5.08	3362	—"—
4.	195226/28.5.08	2870	—"—
5.	195227/10.6.08	2706	—"—
6.	195236/25.6.08	2952	—"—
7.	195237/26.6.08	1148	—"—
8.	195248/1.8.08	~~15205~~	—"—
9.	195250/28.8.08	738	—"—
10.	19953/16.9.08	6478	—"—
11.	19956/30.9.08	4838	हरा पेंशन / कृषक मे लगे कर्मियों
12.	19958/10.10.08	8446	—"—
13.	19959/10.10.08	3608	—(सफाईकर्मी)
14.	19960/16.10.08	2542	—"—
15.	569893/18.10.08	1148	—"—
16.	569894/18.10.08	2169.00	महेश कौल का, सहायक
17.	498708/4.2.09	1312	सफाईकर्मी
		74,134	

09-10

क्र. सं.			
1.	498725/23.6.09	15370	महेश कौल का, सहायक
2.	498740/31.10.09	14708	—"—
3.		30,078	

10-11

1.	—/2.4.10	27,430	APL/BPL कार्ड तैयार करनेवाले कर्मियों
2.	(18.08.10 से रोकड़ बही सँधातीत नहीं किया गया)		
3.	773076/7.11.10	2856	APL/BPL कार्ड तैयार करने हेतु (चेक निर्गत पंजी के अनु)
		30,286	

12 वीं वित्त आयोग की रोकड़ बही से तैयार किया गया संदर्भावधि के अनुसार

09-10 — 154488
10-11 — 225393
37988/-

प्रीतम
(सं.क.)

परिशिष्ट सं0–IX
अंकेक्षण परिणाम
(प्रतिवेदन की कंडिका सं0 23 से संदर्भित)

क्र0सं0	कंडिका सं0	वसूली हेतु सुझाई गई राशि(₹)	अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गई राशि(₹)	अंकेक्षण के दौरान वसूली गई राशि(₹)
1	12(i)	–	200000.00	–
2	12(iv)	–	217259.00	–
3	13	–	1955014.00	–
4	14	732712.00	–	–
5	16 (i)(क)	6370.00	–	–
6	16 (i) (ख)	28458.00		–
7	16 (ii) (क)	7325.00	–	–
8	16 (ii) (ख)	1575.00	–	–
9	16 (ii) (ग)	16975.00		–
10	16 (iii)	234572.00		–
11	18	–	395323.00	–
12	19 (iv)	7076.00		–
13	20		382600.00	–
14	22		514379.00	–
	कुल	**1035063.00**	**3664575.00**	–